



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073
www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्र. 1667 शिक्षा / 2019

बिलासपुर, दिनांक 25/03/2019

बी.एड. एवं डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अधिसूचना

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बी.एड. एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री बी.एड. एवं प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि - 26 मार्च 2019 से
- आवेदन की अंतिम तिथि - 15 मई (रात्रि 12 बजे तक)
- विलम्ब शुल्क रु 200/- अतिरिक्त के साथ आवेदन की अंतिम तिथि - 16 मई से 31 मई (रात्रि 12 बजे तक)
- विलम्ब शुल्क रु 200/+100रु प्रतिदिन - 01 जून से 15 जून 2019
- विलम्ब शुल्क रु 1700/+500रु प्रतिदिन - 16 जून के पश्चात् विशेष परिस्थिति में (इनकी परीक्षा वि.वि. मुख्यालय बिलासपुर में ही होगी)
- प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि - 15 जून से आरंभ
- प्री बी.एड. एवं प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा - 30 जून (रविवार) 2019
- मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि - 1 जुलाई 2019 तक
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि - 08 जुलाई 2019

दावा आपत्ति Email pssouonline@gmail.com के माध्यम से या विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में स्वयं उपस्थित होकर दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। (आवेदन निर्धारित माध्यम, तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे)

- परीक्षा परिणाम घोषणा - 15 जुलाई 2019 (सम्भावित)
- नोट. (1) प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से सम्बन्धित नियम/निर्देश, ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in या www.pssou.online/portal/ पर लागू इन करें। (2) परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कि सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जावेगी। (3) उपरोक्त उल्लेखित तिथियाँ सम्भावित है निश्चित तिथि एवं जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।

पृ.क्र. 1667 शिक्षा / 2019
प्रतिलिपि-

- 1 माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- 2 सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।

बिलासपुर, दिनांक 25/03/2019

परीक्षा नियंत्रक

Page 1 of 15

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge of the Office
PSSOU, CG Bilaspur

- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4 कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ।
- 5 कुलसचिव के निज सहायक को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 6 सर्वर यूनिट शाखा प्रभारी को सूचनार्थ।
- 7 वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
- 8 क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
- 9 प्रभारी.....विभाग को सूचनार्थ।
- 10 संपादक दैनिक.....को अधिसूचना, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 11 वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
- 12 कार्यालय प्रति

2 2/10/18
परीक्षा नियंत्रक

Pradhan

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NMC Officer
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

[Signature]

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय बी. एड. एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु प्री.बी.एड. एवं प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैं-

1. परीक्षा हेतु आवेदन

प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. परीक्षा हेतु आवेदन रु. 500.00 (पाँच सौ रुपये मात्र) के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जायेंगे। ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

2. पात्रता -

2.1 बी.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता -

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अम्यर्थी बी.एड. ओ.डी.एल. में प्रवेश पाने के पात्र होंगे -

2.1.1 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अम्यर्थी पात्र होंगे। (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा इंजिनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55 प्रतिशत अंक)। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अम्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अम्यर्थी को स्नातक में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं।

2.1.2 इसके साथ ही अम्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई, पूर्ण किया हुआ हो।

अथवा

यदि अम्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

2.1.3 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

नोट:-ऐसे अम्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से कम आयु वाले अम्यर्थी को प्रवेश में वरियता दी जायेगी।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge
PSSOU, CG Bilaspur

2.2 डी.एल. एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता -

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे-

- 2.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों । अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा-वर्ग / विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12 वीं या समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
- 2.2.2 साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (जून 20189 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 2.2.3 यह भी की इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।
- 2.2.4 अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा-वर्ग / विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेंगे कि प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्र है। प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. परीक्षा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण-पत्र, छाया-प्रति एवं मूल प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण-पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जायेगा। प्रवेश के पश्चात् यदि कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जायेगा तो उसे निरस्त किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

3. कार्यक्रम में प्रवेश

3.1 बी.एड. कार्यक्रम की 500 सीटों तथा डी.एल.एड. की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, नियमानुसार रैंकिंग (Ranking) सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर प्रदर्शित किये जावेंगे। ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जायेगी अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक-सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जायेगी। यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी किया जायेगा।

3.1.1 वे अभ्यर्थी जो प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. दोनों प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें दोनों परीक्षाओं हेतु अलग-अलग ऑन-लाइन आवेदन भरना होगा।

4. कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र

4.1 बी.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र -

बी.एड. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी.एड. कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से संचालित होगा। इस हेतु चयनित छात्र काउंसिलिंग आवेदन में अपनी सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र चुनेंगे। काउंसिलिंग के दौरान प्रदत्त बी.एड. अध्ययन केन्द्र ही अंतिम होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि छात्र संख्या नियंत्रित करने हेतु अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन कर सके। दिये गये निम्न अध्ययन केन्द्रों की संख्या में अपनी सुविधा व समयानुसार परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा -

क्र.	अध्ययन केन्द्र के नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सलखो, नैला-जांजगीर	02
3.	आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास माटागाँव रोड, दतरैगा, रायपुर	03
4.	महात्मा गांधी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	04
5.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग	05
6.	रायल शिक्षा महाविद्यालय, लालबाग, राजनांदगाँव	06
7.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	07
8.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर	08
9.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	09

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Unit
PSSOU, CG Bilaspur

4.2 डी.एल.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	02
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	03
4.	पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, लावर, दर्रीघाट बिलासपुर	04
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	05
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	06
7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजगीर	07
8.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर	08
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	09
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, धर्मजयगढ़	10
11.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	11
12.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	12
13.	कालिन्दी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	13
14.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	14
15.	स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, हुडको, भिलाई	15
16.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी	16
17.	रॉयल कालेज, राजनांदगांव	17
18.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	18
19.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	19
20.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	20
21.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	21
22.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जशपुर	22
23.	होलीक्रास बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, पत्थलगांव	23
24.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैकुण्ठपुर	24
25.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	25
26.	समाधान शिक्षा महाविद्यालय बेमतरा	26

महत्वपूर्ण सूचना -

- ✓ अध्ययन केन्द्र आबंटन/परिवर्तन का सर्वाधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित रहेगा।
- ✓ उपरोक्त उल्लेखित केन्द्र केवल बी.एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के अध्ययन केन्द्र होंगे। परीक्षा केन्द्र की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रदान की जावेगी।

VERIFIED

Shri Resham Lal Pradhan

Incharge, B. Ed. Centre
PSSOU, CG Bilaspur

5. कार्यक्रम शुल्क

5.1 बी.एड.

बी.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	27,500.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	27,500.00

5.2 डी.एल.एड.

डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00

उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी।

6. परीक्षा का माध्यम

प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अध्ययन सामग्री हिन्दी में उपलब्ध होगी। छात्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय व सत्रांत परीक्षा दे सकेंगे।

महत्वपूर्ण सूचना - सत्रीय कार्य व सत्रांत परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 03 के अनुसार होगा।

7. कार्यक्रम अवधि

बी.एड. व डी.एल.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि पांच वर्ष की होगी अर्थात् प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के पांच वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पांच वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन कराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना - बी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 20 व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 27 के अनुसार होगा।

8. पुनः पंजीयन

निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे। पुनः पंजीयन कराने हेतु छात्र को पंजीयन शुल्क रु. 1000/- (राशि एक हजार रु. मात्र) के अतिरिक्त पुनः पंजीकृत वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम शुल्क देना होगा। पुनः पंजीकृत छात्र को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। शुल्क का निर्धारण संबंधित वर्ष में लागू राशि के आधार पर होगा।

9- आरक्षण

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा।

VERIFIED

①

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge
PSSOU, CG Bilaspur

10. प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश के निम्नलिखित 22 जिलों में आयोजित होगी :-

क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र बिलासपुर	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र अम्बिकापुर	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र रायपुर	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र जगदलपुर
परीक्षा शहर			
बिलासपुर	जशपुर	रायपुर	जगदलपुर
कोरबा	अम्बिकापुर	महासंमुद	दंतेवाड़ा
जांजगीर	बैकुण्ठपुर	दुर्ग-मिलाई	कांकेर
रायगढ़	सुरजपुर	धमतरी	
कवर्धा		राजनांदगांव	
मुंगेली		बलौदा बाजार	
		बालोद	
		बेमेतरा	
		गरियाबंद	

प्रवेश परीक्षा उपरोक्त शहरों के परीक्षा केन्द्रों में निर्धारित समय पर संचालित की जावेगी। परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र का चयन कर ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन में परीक्षा शहर अनिवार्यतः अंकित करें। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परीक्षा शहर केन्द्र ही मान्य होगा। परीक्षार्थी संख्या पर्याप्त न होने पर परीक्षा शहर केन्द्र में परिवर्तन करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

11. प्री बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

11.1 परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता सम्बन्धी जाँच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करें। मात्र ऑन-लाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवजन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र तथा निर्धारित शुल्क नेट बैंकिंग/बैंक चालान के माध्यम से जमा कर, कारकसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट - विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच स्वतः करे अथवा अन्य एजेंसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

11.2 किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा।

11.3 यह एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा है। अतः किसी प्रकार की विषय सूची प्रदान नहीं की जावेगी। आगामी पृष्ठों में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर विषय संबंधी पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है।

11.4 प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर ही निर्धारित तिथि को घोषित किया जायेगा।

12. प्रवेश-पत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व निर्देश -

12.1 किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित किये जावेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

12.2 परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश-पत्र "Application No." डालकर डाउनलोड कर सकेंगे।

12.3 डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र दो भाग में होगा -

भाग 1 - प्रवेश-पत्र होगा।

भाग 2 - परीक्षा उपस्थिति -पत्र होगा। भाग 1 को भाग 2 से काटकर अलग कर लेंगे तथा उपस्थिति-पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपनी नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चिपकार्य एवं हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें कि भाग 2 को प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा हाल में वीक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करें अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुपस्थित माना जावेगा।

13. परीक्षा कक्ष में प्रवेश - अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें एवं नीला/काला बाल पेन ही उपयोग करें।

13.1 प्रवेश परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट बाद परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. अनुचित साधन - परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि परीक्षार्थी के पास, उसकी सीट पर अथवा सीट के निकट, कोई अवांछनीय सामग्री नहीं है। अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना दण्डनीय होगा।

15. क्षेत्राधिकार - किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय (बिलासपुर) के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहेगा।

16. प्रश्न-पत्र की रूप रेखा

अ) परीक्षा प्रश्न पत्र में दो भाग "अ" और "ब" होंगे। परीक्षण पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में एक अंक होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 100 हैं। पूरी परीक्षा का कुल समय दो घण्टे 15 मिनट होगा।

ब) प्रवेश परीक्षा का स्तर - प्री बी.एड. परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे तथा प्री-डी.एल.एड के प्रश्न 10+2 के स्तर के होंगे।

स) परीक्षा पद्धति - परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके दो भाग होंगे। संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूर्ण गोला बनाकर अंकित करने पर एक अंक, गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अथवा सही उत्तर पर भी अपूर्ण गोला अंकित करने पर शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।

भाग ब में विषयगत सक्षमता के तीन विषयों (विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान) में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है, एक से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य (Disqualified) घोषित किया जायेगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे। परीक्षा की अवधि 2:15 घंटे की होगी, जिसमें परीक्षार्थी को दोनों भाग के प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तर शीट में बाल पेन से काला/नीला करना होगा।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Kes...
Incharge...
PSSOU, CG Bilaspur

प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. हेतु - प्रश्न पत्र का प्रथम भाग - सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान
प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग - विषयगत सक्षमता

Part A (भाग अ)				Time(समय)
Part भाग	Subject विषय	No. of Question प्रश्नों की संख्या	Marks अंक	
Section 1 (खण्ड 1)	General Hindi Comprehension (सामान्य हिन्दी बोध)	10	10	02.15 घण्टे
Section 2 (खण्ड 2)	General English Comprehension (सामान्य अंग्रेजी बोध)	10	10	
Section 3 (खण्ड 3)	Logical & Analytical Reasoning (तार्किक एवं विश्लेषात्मक चिंतन)	20	20	
Section 4 (खण्ड 4)	Educational & General Awareness (शैक्षिक एवं सामान्य चेतना)	20	20	
Section 5 (खण्ड 5)	Teaching Learning & The School (शिक्षण-अधिगम एवं विद्यालय)	20	20	
Part B भाग ब				
Subject Competence (Any one) (कोई एक)(कोई एक में 20 अंक)				
Section VI (खण्ड 6)	विषयगत सक्षमता (कोई एक)	(कोई एक में 20 अंक)		
	(i) Science विज्ञान अथवा	20		
	(ii) Mathematics गणित अथवा	20		
	(iii) Social Science सामाजिक विज्ञान	20		

नोट :- भाग ब से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जायेगा।

Note: Only one subject is to be attempted from Part B of question paper attempting more than one subject will render you disqualified.

प्री.बी.एड. प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्री-बी.एड. में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र की अभिरुचि पर आधारित होगा।

प्री. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर डी.एल.एड. में मैट्रिक स्तर/10+2 स्तर तक के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र के अभिरुचि पर आधारित होगा।

सामान्य हिन्दी बोध

- अ. व्याकरण— मानक भाषा: स्वरूप और लक्षण, संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग। समास—रचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध कारक— कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरणिक अशुद्धियां।
- ब. शब्द बोध — शब्द — रचना, उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभावशब्द— प्रकार तत्सम, तदभव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित, शब्दार्थ— पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म अशुद्धि संशोधन,—उच्चारणागत, शब्द व शब्दार्थगत।

General English Comprehension

1) Parts of Speech :-

- Countable, Non-Countable Nouns
- Pronouns-Relative, Possessive
- Adjective (Attributive Use)
- As+Adj+As
- Adverbs (End Position)
- Preposition (in, on, at) for Time and Place

2) Simple Sentences :-


- Imperative Sentences
- Simple Sentences
- Infinitive
- Present Participle, Past Participle
- Gender

- Change of Sentence Combination - (Compound Sentences) (And, But)
- Determiners - Some, any, little, a little, few, a few
- Tense - Present progressive, Present Simple, Past Simple, Use of Going to for future Time
- If Clause (first Condition) If you work hard, you will pass.
- Question Framing - Wh-Question, Yes/No Type Question
- Articles - A, An, The
- Change of Voice (Simple Present and Past Tense with Agent)
- Simple Preposition (in, on, at, showing time and place)
- Narration Simple Sentence (Present, Past and Future Tense)
- One word substitution, Spellings, Opposite words (Prefixes-un, dis,in), Suffixes
- Modals : Can (Showing Capability), May (Seeking Permission), Should (Giving Advice) Would (showing possibility)

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NMAC, Chhattisgarh
PSSOU, CG Bilaspur

तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिन्तन

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं—तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि। इन कारको का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं— विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि— आदि।

शैक्षिक एवं सामान्य चेतना

इस प्रश्न में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।


1. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता।
2. नागरिक शास्त्र/राजनीतिक विज्ञान : मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र : सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल : प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान : विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, चेतना एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान।
6. खेल और शिक्षा, योगशिक्षा: भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीति, शैक्षिक तकनीक समीक्षा, औपचारिकेतर मूल्य शिक्षा। शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोकव्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं— बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएँ, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

17. पूर्णगणना/पूर्णमूल्यांकन — विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के उत्तर शीटों (ओ.एम.आर) का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है अतः पूर्णगणना/पूर्णमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।
18. श्रेणी — छत्तीसगढ़ बी एड. प्रवेश नियम एवं डी.एड./डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।

VERIFIED


Shri Reshmi K. Pandey
Incharge
PSSOU, CG Bhaspur

19. संवर्ग - छत्तीसगढ़ बी.एड. व डी.एल.एड. प्रवेश नियम 2006 के आधार पर संवर्ग से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मृतपूर्व सैनिक। संवर्ग में आरक्षण व्यापम के मानकों के अनुसार मान्य होगा।
20. बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण - छत्तीसगढ़ बी.एड. व डी.एल.एड. प्रवेश नियम 2006 के आधार पर बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणीयाँ होंगी तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।
 (क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निम्नानुसार होगा-
 (एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत।
 (दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत
 (तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।
स्पष्टीकरण - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणीयाँ में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 (ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा -
 (एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 (दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत- इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 (तीन) मृतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत- इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप मृतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत। (जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा)
21. प्रावीण्य सूची - प्रवेश परीक्षा के प्राप्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) इत्यादि की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जाएगी। पूर्णतः अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जायेगा।
22. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश - आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। रिक्त सीटों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जायेगा।
23. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश - किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा।
 (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।
 (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।

VERIFIED

④

Shri Resham Lal Pradhan
 Incharge
 PSSOU, CG Bilaspur

- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अम्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अम्यर्थियों से भरी जाएगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अम्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अम्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अम्यर्थियों से भरी जाएगी।
- (ङ) सभी वर्ग के अम्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेगी।
24. काउंसिलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए बी.एड.एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय सम्पर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की सम्पर्क कक्षाओं/कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति बी.एड. हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.एल.एड. हेतु 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा छात्र सत्रांत परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देंगे।
25. काउंसिलिंग में चयनित छात्रों को संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् अध्ययन-सामग्री दी जाती है। छात्र अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् उसका गहन अध्ययन करें तथा सम्पर्क कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत सुनिश्चित करें।
26. सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान अंतिम तीन दिवस में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से सम्बंधित अधिकतम 30 अंकों की सत्रीय कार्य प्रवेशित अध्ययन केन्द्रों में जमा ली जायेगी जिसमें निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र उस विषय की सत्रांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित किये जावेंगे। सत्रीय अम्यर्थी विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री की सहायता पूर्ण कर सकेंगे।

अम्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

- बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- अम्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाम उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम. आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही मिलेगा। अगर किसी अम्यर्थी ने ओ.एम.आर. शीट में अपने वर्ग अथवा संवर्ग का उल्लेख नहीं किया है तो उसे अनारक्षित ही माना जायेगा।
- किसी भी आरक्षित वर्ग के अम्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अम्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अगर ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख व प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में किये गये उल्लेख में अंतर पाया गया तो उस स्थिति में वि.वि. प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यह भी कि ओ.एम. आर में वर्ग या संवर्ग के प्रवृष्टि में त्रुटि हो जाने पर अम्यर्थी इसकी सूचना तत्काल ही विश्वविद्यालय को देगा। परिणाम निकलने के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।


- सभी वर्ग में महिला संवर्ग के तहत चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन मेरिट क्रम में न होकर महिला संवर्ग के तहत हुआ हो और उस वर्ग में महिला संवर्ग की सीट पूर्ण हो गई हो तो महिला के स्थान पर अधिक प्राप्तांक वाले पुरुषों का चयन मेरिट क्रम से किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- वर्ग (Category) से तात्पर्य है – अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।
- संवर्ग (Class) से तात्पर्य है – महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Frighdom Fighter or FF), मृतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S)
- चांस/प्रतिष्ठा से तात्पर्य है – उन अभ्यर्थियों से है जो कि जब मेरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नहीं हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यर्थियों का चयन मेरिट क्रम से होगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आब्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेवें)

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Page 15 of 15


Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NA&C Officer
PSSOU, CG Bilaspur